परिशिष्ट 'अ'
[7/3/2017]

प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चउवन'

प्रश्न सं. [क्र. 4750]

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2016

क्रमांकः 307/88/आउशि/शा–5'अ'/2016 :: माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं राज्य शासन के आदेश के अनुपालन में सत्र 2016–17 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा अकादमिक कैलेण्डर जारी किये जाते हैं।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

पृ0क्रमांकः 308/88/आउशि/शा–5'अ'/2016 भोपाल, दिनांक 10 मई 2016
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अवर सचिव, राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, म.प्र. भोपाल।
3. निज सहायक माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
5. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं सागर विश्वविद्यालय, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
8. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
9. राज्य सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.), विन्दयाचल भवन, भोपाल।
10. प्रभारी, आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

(उमाकान्त पाण्डेय)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

(ध) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चत करने का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश : विधि संकाय में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन–प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगें। विधि महाविद्यालयों को उनके यहॉं संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षायें राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

6.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता–विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैंनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा–प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यकम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। **किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा।** विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। **आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।**

6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की **'उत्तर मध्यमा परीक्षा'** को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।